यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नरेंद्र नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नरेंद्र नगर के माह 12/2019 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर°एन° यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी°के° श्रीवास्तव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 20/11/2020 से 03/12/2020 तक श्री जे°एम°एस° रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया है।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार/स°ले°प°अ° एवं श्री भारत सिंह/स°ले°प°अ° एवं श्री शरद चौधरी/स°ले°प°अ°(त°) द्वारा दिनांक 19.12.2019 से 30.12.2019 तक श्री रणवीर सिंह चौहान/वरि°ले°प°अ° के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2018 से 11/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** खंड द्वारा नरेंद्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क एवं सेतु निर्माण/रख-रखाव के कार्य संपादित किए जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रु लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19		---	---	520.45	520.45	4860.15	4859.16	----	1.00
2019-20		---	---	4754.21	4754.21	4251.00	4251.00	----	----
2020-21 (up to 10/2020)		---	---	2240.74	1828.15	19.23	10.89	----	420.93

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19						
2019-20			**शून्य**			
2020-21 (up to 10/2020)						

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'अ'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेंद्र नगर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेंद्र नगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "कैलाश गेट के समीप गंगा नदी पर पैदल सेतु का निर्माण" का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में माह **शून्य** में निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **03/2020** तथा **03/2020** तक की गई।

7. फार्म 51: माह **03/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹ (-)1577.00

भाग द्वितीय - ₹ 259668.00

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **11/2020** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 7319084.00
(ख) सामग्री क्रय – Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- ₹ 70172299.00
(ङ) भण्डार- ₹ 6416698.00

भाग-2 (अ)

प्रस्तर- 1 : कार्य अपूर्ण रहने के कारण धनराशि रु 180.69 लाख का अवरुद्ध रहना ।

Clause- 378- No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.
Clause-318. For every work proposed to be carried out except petty works and petty repairs, and repairs for which a lump sum provision has been sanctioned by the superintending engineer, under paragraph 349, properly detailed estimate must be prepares for sanction by competent authority. This sanctions is known as technical sanction to the estimate and it must be obtained before work is commenced. As its name indicates, it amounts to no more than a guarantee that the proposals are structurally sound and the estimates are accurately calculated and based on adequate data. Such sanction will be accorded by an officer of the Public Works Department authorized to do so. In the case of an original work, other than a petty work, the countersignature of the local head of the department on behalf of which its execution is proposed or of such other officer of lower status as may have been empowered to accord administrative approval to it, should be obtained to the plans and estimates in token of his acceptance of them, before technical sanction to the latter is accorded. If, subsequent to the grant of technical sanction, material structural alterations are contemplated, the orders of the original sanctioning authority should be obtained, even though no additional expenditure may be involved by the alterations.

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र नरेंद्र नगर मे बछेलीखाल से बखलेश्वर महादेव मंदिर मोटर मार्ग (वाया बी0 भैरव) के 10.00 किमी मार्ग निर्माण के दितीय चरण के कार्य (मुख्यतः पहाड़ कटान, स्क्पर इत्यादि) हेतु रु 442.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (माह जनवरी 2015) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (नवंबर 2017)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (16/SE-8/2018-19 dated 16.08.2018) आगणित लागत रु 250.12 लाख के सापेक्ष रु 242.19 लाख हेतु गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की निर्धारित तिथि 15.02.2020 थी। फार्म-64 (नवंबर 2020) के अनुसार कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 53.57 लाख था।

उपरोक्त मार्ग के ही प्रथम चरण के कार्य हेतु (मार्ग लंबाई 12.00 किमी) रु 151.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी थी (मार्च 2013) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति मार्ग लंबाई 10.375 किमी0 हेतु (जिसमे मुख्यतः सर्वेक्षण, ट्रेस कटिंग, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यूटिलिटि शिफ्टिंग एवं भूमि अधिग्रहण के कार्य) 2 चरणो मे क्रमश: रु 84.39 लाख (माह 01/2014) एवं रु 66.81 लाख (माह 09/2016) मे प्राप्त की गयी थी जबकि फार्म-64(माह अक्तूबर 2020) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 127.13 लाख था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड , लो0 नि0 वि0, नरेन्द्रनगर के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (नवंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा उपरोक्त मार्ग के द्वितीय चरण की स्वीकृति के सापेक्ष न केवल आंशिक धनराशि रु 250.12 लाख हेतु एक अनुबंध (16/SE-8/2018-19 dated 16.08.2018) गठित किए गए अपितु उक्त के सापेक्ष प्राविधिक स्वीकृति के 03 वर्षो बाद भी मात्र रु 53.57 लाख की धनराशि के ही कार्य (फार्म-64 अक्तूबर 2020) निष्पादित कराये गए थे जबकि माह 11/2018 (24 माह) से कार्य भी बंद पड़े थे। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा प्रथम चरण के कार्यो के लिये प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रु 151.20 लाख (12.00 किमी) के सापेक्ष मात्र 10.0375 किमी हेतु प्राप्त प्रथम चरण के कार्य हेतु ही प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति की शर्तो के विपरीत आंशिक रूप से (किमी 1.00 से किमी 2.00) द्वितीय चरण (पहाड़ कटान) के कार्य कराते हुये कुल रु 127.12 लाख का

व्यय किया गया था जबकि प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रतिवेदन मे बचत से कराए जाने वाले पहाड़ कटान के कार्यो के सुझाव की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। मार्ग लंबाई 3.00 से 4.00 के मध्य भूमि विवाद के कारण उक्त के सापेक्ष प्रतिकर का भुगतान भी नहीं किया जा सका था। अतः इस प्रकार खंड द्वारा न केवल 12.00 किमी मार्ग लंबाई हेतु विस्तृत स्वीकृति प्राप्त कर 10.0375 किमी की ही मार्ग लंबाई हेतु पूर्ण धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति दी गयी अपितु प्रथम चरण के कार्य अपूर्ण/बाधित रहने के बावजूद द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया गया जो 02 वर्षो से भी अधिक समय से बंद था। अतः खंड द्वारा वित्तीय नियमो के विपरीत न केवल अनियमित कार्य कराये गए अपितु कार्य अपूर्ण रहने से उस पर किया गया व्यय रु 180.69 लाख (127.12 लाख + रु 53.57 लाख) एक निष्फल व्यय था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे स्वीकार करते हुये बताया गया कि मार्ग लंबाई किमी 3.00 एवं किमी 4.00 मे ग्रामीणो द्वारा अपनी भूमि पर निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है एवं खंड द्वारा विभिन्न स्तरो पर विवाद सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं । प्रथम चरण की स्वीकृति के सापेक्ष व्यय के संबंध मे भी खंड द्वारा बताया गया कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष भी प्राविधिक स्वीकृति केवल प्रथम चरण के कार्यो हेतु ही थी जिसमे पहाड़ कटान के कार्य सम्मिलित नहीं थे, किन्तु कार्य के व्यय मे बचत के कारण द्वितीय चरण के कार्य (पहाड़ कटान) करा लिए गए जबकि रु 151.20 लाख के सापेक्ष मात्र रु 127.12 लाख का व्यय होना, किमी 3.00 एवं किमी 4.00 मे विवाद के कारण प्रतिकर का न लिया जाना था।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा प्रथम चरण के कार्य पूर्ण कराये बिना ही न केवल द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया गया जो स्वीकृत धनराशि रु 442.92 लाख के सापेक्ष मात्र रु 53.57 लाख व्यय के उपरांत 02 वर्षो से भी अधिक समय से बंद था अपितु प्रथम चरण की प्राविधिक स्वीकृति मे प्रविधानित मार्ग लंबाई एवं मदों के विपरीत आंशिक मार्ग लंबाई मे द्वितीय चरण (पहाड़ कटान) के कार्य कराये गए उक्त मार्ग के 07 वर्षो से भी अधिक समय से अपूर्ण रहने से न केवल पर्यटन के उद्देश्य से महादेव मंदिर को जोड़ने का उद्देश्य अपूर्ण रहा अपितु भविष्य मे प्रतिकर एवं कार्य की दरो मे वृद्धि से कार्य की लागत मे अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रथम चरण की स्वीकृति के 07 वर्षो एवं द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्षो से भी अधिक समय के उपरांत भी कार्य पूर्ण न होने एवं 02 वर्षो से भी अधिक समय से कार्य बंद रहने के कारण उक्त मार्ग पर किया गया। अनियमित व्यय रु 180.69 लाख अवरुद्ध रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 : वित्तीय नियमो की अवहेलना करते हुये अपूर्ण मार्ग निर्माण पर रु 188.76 लाख का अनियमित व्यय ।

As per Financial Handbook Rule Vol-VI:
Clause- 378- No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल मे विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अंतर्गत शिवपुरी से जाजल तक मार्ग का डबल-लेन मे निर्माण कार्य (मार्ग लंबाई 25.00 किमी) हेतु रु 243.54 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (सितंबर 2014) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति मार्ग लंबाई 13.00 किमी हेतु रु 132.73 लाख की प्रदान की गयी (मई 2016). विस्तृत आगणन के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त प्राविधिक स्वीकृति के अंतर्गत सर्वेक्षण, ट्रेस कटिंग, पैलार, ड्राईंग, मृदा परीक्षण, डी0पी0आर0, वन भूमि एन0पी0ए0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य कराये जाने थे।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड , लो0 नि0 वि0, नरेंद्रनगर के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (नवंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा वित्तीय स्वीकृति मार्ग लंबाई 25 किमी के सापेक्ष न केवल मात्र 13.00 किमी मार्ग लंबाई हेतु ही प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी अपितु वित्तीय स्वीकृति के 24 माह बाद 06 अनुबन्धो के अंतर्गत (अनुबंधित लागत रु 139.99 लाख) मात्र 03.00 किमी मे ही अनुबंधित लागत से अधिक रु 188.76 लाख व्यय के उपरांत वित्तीय स्वीकृति के 06 वर्ष बाद भी न तो अवशेष धनराशि हेतु कोई प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी और न ही माह 02/2017 के बाद (44 माह से) कार्य मे कोई प्रगति की गयी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुये उत्तर मे बताया गया कि वनभूमि हस्तांतरण न होने के कारण जितने भाग मे कार्य कराये जाने थे उतने भाग हेतु आंशिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी। पुनः मार्ग मे समरेखण के नाप वाले भाग मे विवाद के कारण अनुबंध गठित करने मे विलंब हुआ एवं मात्र 03 किमी नाप भूमि हेतु ही अनुबंध गठित कर कार्य पूर्ण किया गया। आगे खंड द्वारा बताया गया कि उपरोक्त प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष ही कार्य कराये गए और वनभूमि हस्तांतरण के उपरांत अवशेष धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा अनुबंधित धनराशि से अधिक व्यय करते हुये 13.00 किमी आंशिक मार्ग लंबाई के सापेक्ष मात्र 03.00 किमी मे ही कार्य संपादित कराये गए। आगे अवशेष मार्ग मे वनभूमि का हस्तांतरण न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति के 06 वर्षो बाद भी कार्य न केवल अपूर्ण थे अपितु भविष्य मे भी कार्य की लागत मे अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः वित्तीय नियमो की अवहेलना करते हुये मार्ग निर्माण पर रु 188.76 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता

भाग - दो 'ब'

प्रस्तर -2 रू0 273.07 लाख व्यय होने एवं मूल स्वीकृति के 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहना एवं लक्षित उद्देश्य अप्राप्त रहना।

जनपद टिहरी गढवाल में नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में चाका-दोगी-भरपूर मोटर मार्ग के नवनिर्माण (लम्बाई 17 कि.मी.) हेतु माह 03/2010 में रू 595.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मार्ग निर्माण हेतु प्राविधिक स्वीकृति तीन भागो में ली गयी थी, प्रथम माह 03/2011 में रू0 114.72 (5.875 किमी0 लम्बाई), द्वितीय माह 06/2012 में रू0 48.57 एवं तृतीय माह 09/2016 में रू0 110.82 (5.875 किमी0 से आगे 01 किमी0 हेतु) तीनों ही प्राविधिक स्वीकृतियां मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर की लेखापरीक्षा माह दिसम्बर 2020 मे पाया गया कि यद्यपि कार्य की मूल स्वीकृति चाका से ग्राम लवा एवं गुमालगांव होते हुए दोगी-भरपूर पट्टी के ग्रामीणों को यातायात सुविधा प्रदान करना था जिस हेतु 17 किमी0 लम्बाई में कार्य स्वीकृत किया गया था । मार्ग के प्रथम 5.875 किमी0 लम्बाई में नाप भूमि पड़ती थी एवं इसके बाद 11.125 किमी0 लम्बाई में वनभूमि पड़ती थी। खण्ड वनभूमि की सहमति प्राप्त नही कर सका एवं मात्र प्रथम 5.875 किमी0 पर कार्य प्रारम्भ किया गया, आगे 4 किमी0 मार्ग निर्माण हेतु समरेखण संशोधित किया गया किन्तु ग्रामवासियों द्वारा विवाद होने पर मात्र 01 किमी0 लम्बाई हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी जिसके सापेक्ष पुनः भूस्वामियों के विरोध के कारण मात्र 850 मीटर लम्बाई में कार्य हो सका।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार किया गया कि वन विभाग द्वारा असहमति जताने एवं भूस्वामियों द्वारा विवाद करने के कारण कार्य नही हो पाया। वस्तुस्थिति यह थी कि खण्ड द्वारा पहले पूरी लम्बाई (17 किमी0) में भूमि अर्जन न कर प्रथम 5.875 किमी0 लम्बाई में कार्य प्रारम्भ किया गया आगे का निर्माण संशोधित समरेखण के अनुसार भी नही किया जा सका अन्ततोगत्वा कार्य पर रू0 273.07 लाख व्यय होने के बाद भी मात्र 6.725 किमी0 (5.875 + 0.850 किमी0) पर ही कार्य हो पाया एवं शेष कार्य अधूरा था एवं जिन ग्रामो को जोड़ने हेतु मूल स्वीकृति प्रदान की गयी थी उनको स्वीकृति के 10 वर्ष बाद भी यातायात की सुविधा प्रदान नही की जा सकी। खण्ड द्वारा पूरी लम्बाई में भू अर्जन न कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण किया गया होता एवं उचित नियोजन किया गया होता तो दोगी-भरपूर पट्टी के ग्रामीणों सहित आसपास के गांव को भी यातायात सुविधा का लाभ मिलता।

अतः रू0 273.07 लाख का व्यय होने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहने एवं लक्षित ग्रामों को यातायात की सुविधा न मिल सकने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर -3 कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार पर अर्थदण्ड रू 32.35 लाख का अध्यारोपण न किया जाना।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 792/2017 दिनांक 21.09.2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में डाबरखाल से भैस्यारों मोटर मार्ग का सुधारीकरण/डामरीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 1705/III(2)/18-11/(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27.04.2018 द्वारा लम्बाई 10.00 किमी0 हेतु कुल लागत रू0 495.68 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो0नि0वि0, नई टिहरी द्वारा पत्रांक : 1048/63(8)याता0-(नरेन्द्रनगर)-टि0/18 दिनांक 15-05-2018 के माध्यम से लम्बाई 10.00 किमी0 हेतु लागत रू0 495.68 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर की नमूना जांच (माह 11/2020) में पाया गया कि उक्त स्वीकृति के क्रम में कार्य निष्पादन हेतु मै0 के0के0 कन्स्ट्रक्शन, रूड़की के साथ अनुबन्ध संख्या 18/एस0ई0-8/2018-19 दिनांक 20.08.2018 अनुबन्धित लागत रू0 32350560.96 का गठन किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 20.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 19.08.2019 थी। ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2020 (Actual date of completion) को 326 दिन विलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया। समय वृद्धि प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा कार्यालय आदेश पत्रांकः 1455/01 याता0 'क'/18 दिनांक 17.10.2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि समयवृद्धि प्रकरणों को प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रकरण के साथ औचित्यपूर्ण प्रमाण संलग्न हो, जितनी अवधि हेतु औचित्यपूर्ण प्रमाण संलग्न हो उक्त अवधि हेतु क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कोई औचित्य नही है। इसके अतिरिक्त अनौचित्यपूर्ण अवधि हेतु क्षतिपूर्ति की गणना करते हुए संस्तुत किये जाय, जिसे GPW-9 के Clause-4 अथवा (Unjustified Time/Total Time x Cost or work) का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड की गणना कर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुति सहित प्रेषित किया जाय। विभागाध्यक्ष के उक्त आदेश के अनुसार कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार पर 10 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिये था परन्तु अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 3687/07 सी0-8/19 दिनांक 28.08.2020 द्वारा कार्य का समयवृद्धि दिनांक 10.07.2020 तक 0.05 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ स्वीकृत किया गया । इस प्रकार कार्य पर बिलम्ब हेतु ठेकेदार से अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की धनराशि रू0 3235056.09 की वसूली GPW-9 के Clause-4 के अनुसार तथा अनुबन्ध के section-7 PCC-Clause GCC 46.1के अनुसार 'The liquidated damages for the whole of the works are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand per day.The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the initial contract price. की जानी चाहिये थी

जिसकी वसूली नही की गयी। आगे यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति में स्पष्ट रूप से प्राविधानित था कि योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में , निर्माण से सम्बन्धित माइल स्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुये वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। परन्तु अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा माइल स्टोन के अनुसार कार्य निष्पादित नही किये जाने के वावजूद भी ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति अध्यारोपित नही की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य 326 अतिरिक्त दिवस उपरान्त पूर्ण कर दिया गया, अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा पत्र संख्या 3687/07सी0-8/19 दि0 28.08.2020 द्वारा रू0 16176.00 मात्र के अर्थदण्ड के साथ स्वीकृत किया गया जिसकी कटौती ठेकेदार के देयक से की गयी। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योंकि ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन में लापरवाही/शिथिलता बरती गयी जिससे विलम्ब हुआ जिसके लिये विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा कार्यालय आदेश पत्रांकः 1455/01 याता0 'क'/18 दिनांक 17.10.2019 एवं अनुबन्ध के section-7 PCC-Clause GCC 46.1के अनुसार 10 प्रतिशत अर्थदण्ड धनराशि रू 32.35 लाख लगाया जाना चाहिये था जिसका अनुपालन नही किया गया तथा कार्य को निष्पादित कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अनुबन्ध गठित किया गया था ऐसे में समयवृद्धि प्रकरण की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर से प्राप्त की जानी चाहिये था परन्तु मुख्य अभियन्ता स्तर से समयवृद्धि प्रकरण की स्वीकृति नही प्राप्त की गयी थी।

अतः कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदार पर अर्थदण्ड रू 32.35 लाख का अध्यारोपण नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	26/2003-04	-	01	-
2.	31/2004-05	-	01,02,03,04	-
3.	52/2005-06	1	01,02	-
4.	21/2006-07	-	01,02,03	-
5	26/2007-08	-	01,02	-
6	56/2008-09	01,02	01,02	-
7	46/2009-10	01,02	01	-
8	32/2011-12	01	01,02	-
9	50/2012-13	-	01	-
10	39/2014-15	-	01.04,05	-
11	65/2015-16	-	03,04,05	-
12	42/2016-17	01	02,03,04	-
13	62/2017-18	-	01,03	-
14	97/2018-19	01,02,03	01	-
15	97/2019-20	-	01,02,03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग – II(अ)	भाग –II (ब)			
26/2003-04	-	01	अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार	शून्य	---
31/2004-05	-	01,02,03,04			
52/2005-06	1	01,02			

21/2006-07	-	01,02,03	(लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की गई है।		
26/2007-08	-	01,02			
56/2008-09	01,02	01,02			
46/2009-10	01,02	01			
32/2011-12	01	01,02			
50/2012-13	-	01,02			
39/2014-15	-	01.04,05			
65/2015-16	-	03,04,05			
42/2016-17	-	02,03,04			
62/2017-18	-	01,03			
97/2018-19	01,02,03	01			
97/2019-20	-	01,02,03			

भाग-Iv

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेंद्रनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. सतत् अनियमितताएः **शून्य**

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**मो. आरिफ़ खान**	**अधिशासी अभियंता**	**30.12.2013 से वर्तमान तक**

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्री अतर सिंह	14.08.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेंद्रनगर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, एएमजी-II, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II/ नॉन-पी.एस.यू.